

80/1
कुमार कमलेश

02-5-12

विवरणीकर
(संख्याकार)

प्रेषक,

कुमार कमलेश,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं प्रशासक,
शारदा सहायक समादेश
षट्ठी विकारा परियोजना,
23-सी गोखले मार्ग, लखनऊ।
2- अध्यक्ष एवं प्रशासक,
रामगंगा कम्बाण्ड परियोजना,
117/एच 2/193, पाण्डुगढ़ार,
कानपुर।

भूमि विकास एवं जल संसाधन अनुभाग-1

संख्या- 202/54-1-12/1(5)/2010 दिनांक

2-5-12

अप्रैल, 2012

T.E.(I.T.)

for Wednesday
update.

9/5/12

3/5/12

27/5/12

3-5-12

विषय— उल्ल्यूडीटी० सदस्यों की आवश्यकतानुसार स्थापित किया जाना।

महोदय,

आईडब्ल्यूएमपी योजना अन्तर्गत पी०आई०ए० स्तर पर उल्ल्यूडीटी के सदस्यों के गठन में परियोजना स्तर पर प्रस्तावित कार्य की उपलब्धता एवं स्वरूप के आधार पर सदस्यों की नियुक्ति का प्राविधान दिशा—निर्देशों में किया गया है लेकिन शासन की जानकारी में आया है कि कतिपय जनपदों में परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा प्रत्येक बैच की परियोजना में अलग—अलग उल्ल्यूडीटी टीमों का गठन किया गया है जो सदस्यों की कार्य क्षमता एवं मित्र्युद्यिता के दृष्टिकोण से उचित नहीं है।

अतः इस संबंध में मुझे आपसे यह कहने की अपेक्षा की गई है कि पीआईए के पास उपलब्ध परियोजना में कम से कम दो बैच की परियोजनाओं के मध्य एक उल्ल्यूडीटी के बहुआयामी तकनीकी योग्यता बाले कम से कम चार सदस्यों की टीम का गठन कराते हुए उनके उपलब्ध कार्य क्षमता का पूर्ण उपयोग कराना सुनिश्चित किया जाय साथ ही उनके द्वारा सम्पादित कार्य के आधार पर ही मानदेय का भुगतान रोबो प्रदाता के माध्यम से किया जाये।

भवदीय,

(कुमार कमलेश)

प्रमुख सचिव

संख्या- 202/54-1-12/1(53)/2010 दिनांकित

प्रतिलिपि:-

- समस्त उपनिदेशक, भूमि विकास एवं जल संसाधन विभाग को इस निर्देश के साथ कि पीआईए के पास उपलब्ध कार्यक्षेत्र एवं उल्ल्यूडीटी सदस्यों के कार्य की क्षमता का पूर्ण उपयोग कराना सुनिश्चित करें।
- प्रशासनिक अधिकारी, एसएलडीसी, गोखले मार्ग, लखनऊ को उक्त की प्रति वेबराइट पर अपडेट किये जाने हेतु।

(डी०एस० शमा)

विशेष सचिव

Alok 11-12

157